न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 42/2022

GCMS NO. : 2022/115

सायलान	बनाम	गैरसायलान
1. ओमकंवर पत्नी स्वर्गीय सवाईसिंह उम्र 37 वर्ष 2. ईश्वरसिंह पुत्र स्वर्गीय सवाईसिंह उम्र 17 वर्ष 3. प्रदीपसिंह पु स्वर्गीय सवाईसिंह उम्र 15 वर्ष सायल संख्या 2 व 3 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता ओमकंवर पत्नी स्वर्गीय सवाईसिंह जातियान राजपूत निवासी बलूपुरा तहसील जैतारण जिला–ब्यावर राजस्थान		1. नरपतसिंह पुत्र जोरसिंह जाति राजपूत निवासी बलुपुरा तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान 2. तहसीलदार महोदय जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान 3. उपपंजीयन अधिकारी महोदय, उपपंजीयन कार्यालय जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान। 4. पटवारी महोदय, पटवार हल्का राबडियावास तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान।

राजस्व प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 18.10.2022

उपस्थितः. 1. श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, सायलान।

–:: निर्णय : दिनांकः 16.10.2024

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम बलुपुरा पटवार हल्का राबडियावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बलाडा तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान में कृषि भूमि खसरा नम्बर 9/1 रकबा 1.1898 हैक्टयर, खसरा नम्बर 88 रकबा 2.9785 हैक्टयर की आई हुई है तथा सायलान् राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। नकल जमाबन्दी व नक्शा देस प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। सुविधा की दृष्टि से उक्त खसरा नम्बर व रकबा की कृषि भूमि को आगे इस प्रार्थनापत्र मे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के पक्षकारान् के मध्य कोई बंटवाडा नही हो रखा है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड मे संयुक्त सामलाती अविभाजित कृषि भूमि है इस कारण सायलान् को अपने हक हिस्से व बंट की भूमि का अपनी मनमर्जी अनुसार कृषि कार्य करने, बैंक से ऋण लेने, उन्नत तरीके से कृषि करने, खाद बीज डालकर उपजाउ करने, सरकारी अर्द्धसरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने में काफी दिक्कतो एवं समस्यो तथा कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है तथा सायलान उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है इस कारण से सायलान् अपने हक हिस्से व बंट की भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने के अधिकारी है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि राजसव रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने से गैरसायलान् आये दिन सायलान् के खेत की मांठ पाल व खन्दक को लेकर तथा सीमा को लेकर हमेशा वाद विवाद करते रहते है तथा सायलान् की कृषि भूमि की मेडबन्दी व तारबन्दी को तोडफोड कर देते है तथा बिना बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाये

ही उक्त संयुक्त सामलाती खातेदारी की कृषि भूमि को किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण आदि की धमकीया देते रहते है एवं सायलान् के कब्जे काश्त की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर कच्चा पक्का निर्माण करने की धमकीया देते रहते है तथा मौके पर निर्माण सामग्री लाकर डाल दी है एवं सायलान् को उनके कब्जे से बेदखल करने की ऐलानिया धमकीया देते रहते है तथा कृषि भूमि को अकृषि कार्य कर खूर्द बुर्द करने पर आमादा है। जबकि सायलान् उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है एंव राजस्व रेकर्ड मे सायलान् का नाम इन्द्राज है तथा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हक हिस्से अनुसार सायलान् मौके पर काबिज काश्त है। इसलिए सायलान् अपने हक हिस्से व बंट की भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने के अधिकारी होने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद बंटवाडा का विरूद्ध गैरसायलान् के सादर पेश है। दिनांक 02/10/2022 को सायलान ने गैरसायलान् को उक्त वादग्रस्त आराजी का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने का कहने पर गैरसायलान् द्वारा स्पष्ट इन्कार करने एवं सायलान् को उनके कब्जे काश्त से बेदखल करने एवं बिना बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि करने व मौके पर कृषि भूमि में अकृषि कार्य करने व कच्चा पक्का निर्माण करने व खूर्द बुर्द करने एवं तथा सायलान् के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने की ऐलानिया धमकीया दी। यदि गैरसायलान् अपने इन नापाक इरादो मे कामयाब हो जाते है तो सायलान् को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी एवं सायलान् अपने खातेदारी काश्तकारी हक हकूको से वंचित हो जायेगें एवं सायलान् अपने साम्पतिक अधिकारो से महरूम हो जायेगें तथा गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो का सायलान् मौके पर विरोध करेगे तो मौके पर लडाई झगडा टन्टा फसाद होगा एवं विविध प्रकार की मुकदमेबाजी बढेगी तथा पेचीदगिया पेदा होगी तथा सायलान् खर्चे से जेरबार हो जायेगे। इस कारण से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन भी हर दृष्टिकोण से सायलान् के पक्ष मे प्रमाणित है। इसलिए सायलान् के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 में वर्णित सरहद मौजा ग्राम बलुपुरा पटवार हल्का राबडियावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बलाडा तहसील जैतारण में कृषि भूमि खसरा नम्बर 9/1 रकबा 1.1898 हैक्टयर, खसरा नम्बर 88 रकबा 2.9785 हैक्टयर कृषि भूमि मे से सायलान अपने हक हिस्से व बंट की भूमि मे सायलान् काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करे या करावे तो उसमे गैरसायलान् उनके नोकर चाकर हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार से दखल व दस्तन्दाजी नहीं करे तथा न ही सायलान् को उसके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल करे तथा किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे एवं कृषि भूमि में अकृषि कार्य नही करे तथा जब तक बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नही हो जाता तब तक उक्त भूमि को किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि नही करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के गैरसायलान् को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक रोका जावे तथा वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति को भी मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक यथावत् रखी जाने के आदेश फरमावे।

इस पर सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल संख्या 1 न्यायालय हाजा में अनुपस्थित होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

बहस वकील सायलान राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता

सायलान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है:-

1. **प्रथम दृष्टया मामला:-** वादग्रस्त आराजी अविभाजित संयुक्त खातेदारी की है जिसमें एक सहखातेदार द्वारा अन्य सहखातेदार के विरूद्ध वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। वादग्रस्त आराजी की जमाबंदियो संवत् 2077-2080 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सायलान एवं गैरसायल संख्या 1 सह-खातेदार है। सायलान ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी एक विभाजित आराजी है, जिस पर गैरसायल संख्या 1 द्वारा आये दिन खेत की माठ पाल व सीमा को लेकर हमेशा विवाद रहता हैं। सायलान की कृषि भूमि पर मेडबन्दी व तारबन्दी को तोडफोड देते है व सायलान की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। जिसका जवाब हेतु गैरसायल न्यायालय अनुपस्थित रहे है नहीं किसी प्रकार से पैरवी की। अतः मूल वाद के अनुतोष के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है सामलाती भूमि में समस्त सहखातेदारों का हक निहित होता है। जिसमें किसी भी सहखातेदार द्वारा अन्य सहखातेदार की भूमि में अतिक्रमण व दखलन्दाजी नहीं की जा सकती। चूंकि वादग्रस्त आराजी में गैरसायल 1 द्वारा अपने सहखातेदार सायलान की भूमि पर अतिक्रमण व तोडफोड की जा रही है। अतः प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः-** प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित हुआ है। चूंकि वादग्रस्त आराजी में गैरसायल 1 द्वारा अपने सहखातेदार सायलान की भूमि पर अतिक्रमण व तोडफोड की जा रही है। अतः सायलान का अपने हक-हिस्से तक सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित होना साबित होता है। अतः यह बिंदू भी सायलान के पक्ष में साबित होता है।

अपूरणीय क्षतिः- प्रथम दोनों बिंदू सायलान के पक्ष में साबित हुए है। साथ ही गैरसायल संख्या 1 द्वारा अपने सहखातेदार सायलान की भूमि के कब्जे काश्त पर दखलन्दाजी की जा रही है। अतः गैरसायल संख्या 1 द्वारा सायलान की भूमि के मौके का यथास्थिति में फेरबदल की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार यदि सायलान के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो सायलान को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण **गैरसायल संख्या** 1 को मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी में सायलान के हक हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी एवं मौके की यथास्थित का यथावत बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र सायलान अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **गैरसायल संख्या** 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ग्राम बलुपुरा पटवार हल्का राबडियावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बलाडा तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान में कृषि भूमि खसरा नम्बर 9/1 रकबा 1.1898 हैक्टयर, खसरा नम्बर 88 रकबा 2.9785 हैक्टयर की आई हुई है में सायलान के हक हिस्से व बंट की भूमि में दखलन्दाजी व मौके की यथास्थिति बनाए रख्ने व वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नही करने एवं

सायलान के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाकर जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला–ब्यावर राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 16.10.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला–ब्यावर राजस्थान